

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा कण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक: 23/164-2000 वि०-टी॥2॥ दिनांक, कण्डीगढ़: 11.5.2000

अजन्ता पब्लिक स्कूल सेक्टर-31 गुडगांव को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से दसवी स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

प्रशान्त महापात्र
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
कण्डीगढ़ ।

पृथकांकन क्रमांक सम दिनांक: 11.5.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी गुडगांव को उनके यादी क्रमांक:जी-2/2000/449 दिनांक 9.5.2000 के सन्दर्भ में ।
2. मुख्याध्यापक, अजन्ता पब्लिक स्कूल सेक्टर-31 गुडगांव ।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार नई दिल्ली 110092.

अधीक्षक विद्यालय-1 11/5/2000
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
कण्डीगढ़ ।

Rya